15.06.2021

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया उपस्थित। रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर आपत्ति की गई कि धारा 194(12) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत जिला कलेक्टर के अधिकार राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक/एफ. 8(जीए)नियम/डीएलबी/11/ 4329 दिनांक 26.05.2011 द्वारा जिला कलक्टर से वापिस ले लिए गए है। अतः इस अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अवलोकन किया गया एवं आदेश 7 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों एवं न्यायालय की लाईब्रेरी में उपलब्ध विधिक दृष्टान्त A.I.R. 1987 S.C. 1947 A.I.R. 1959 Manipur9 A.I.R. 1973 Him.Pra.25 A.I.R. 1972 Guj.280 A.I.R. 1972 J&K 1(F.B.) A.I.R. 1989 Ker.28 A.I.R. 1962 Guj.296 के विधिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया एवं इन विधिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक पालना करने हेतु यह न्यायालय बाध्य है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में क्षेत्राधिकार के भिनाय पर किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में इस अपील को राज्य सरकार की अधिसूचना 26.05.2011 के तहत सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से मूल अपील को प्रार्थी अधिवक्ता को लौटाए जाने के आदेश दिए जाते है। मूल अपील की फोटो प्रति पत्रावली में बतौर अभिलेख रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner